

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, प्रयागराज

UPSSC, PRAYAGRAJ



विशेष अध्यापक पात्रता परीक्षा(Special TET), 2026

विज्ञापन संख्या— 03 / 2026

उ0प्र0 शिक्षा सेवा चयन आयोग, 23 एलनगंज,
प्रयागराज—211002

www.upessc.up.gov.in



उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग

23 एलनगंज, प्रयागराज-211002

विषय-सूची

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ सं०
1.	महत्वपूर्ण तिथियाँ	2
2.	विशेष अध्यापक पात्रता परीक्षा (Special TET) के आयोजन की पृष्ठभूमि	2
3.	अनुप्रयोज्यता	2-3
4.	ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना	3-4
5.	परीक्षा शुल्क भुगतान हेतु आवश्यक निर्देश	4
6.	आवेदन शुल्क	5
7.	अनिवार्य अर्हता	5
8.	आयु सीमा	5
9.	परीक्षा केन्द्र	5
10.	परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम	6-7
11.	लिखित परीक्षा सम्बन्धी निर्देश	7-8
12.	आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु निर्देश	8
13.	अभ्यर्थियों हेतु सामान्य अनुदेश	9
14.	परिशिष्ट 1 : अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र का प्रारूप	10
15.	परिशिष्ट 2 : अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्र का प्रारूप	11
16.	परिशिष्ट 3 : आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) प्रमाण-पत्र का प्रारूप	12-13
17.	परिशिष्ट 4 : स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित का प्रमाण-पत्र का प्रारूप	14
18.	परिशिष्ट 5 : दिव्यांगता प्रमाण-पत्र का प्रारूप	15-16



उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग

23 एलनगंज, प्रयागराज-211002

विज्ञापन संख्या : 03 / 2026

1. महत्वपूर्ण तिथियाँ :-

विज्ञापन प्रकाशन की तिथि	03.09.2026
ऑनलाइन पंजीकरण (O.T.R.) / आवेदन प्रारम्भ होने की तिथि	05.09.2026
ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि	04.10.2026
ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की अन्तिम तिथि	08.10.2026
परीक्षा तिथि	03.11.2026

2. विशेष अध्यापक पात्रता परीक्षा (Special TET) के आयोजन की पृष्ठभूमि :-

- मा0 उच्चतम न्यायालय ने सिविल अपील संख्या-1385/2025 अंजुमन इशात-ए-तालीम ट्रस्ट बनाम महाराष्ट्र राज्य व अन्य तथा उसके साथ सम्बद्ध अन्य सिविल अपील्स में दिनांक 01.09.2025 को समस्त शिक्षकों हेतु टी०ई०टी० अनिवार्य किया है तथा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.09.2025 के विरुद्ध मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित पुनर्विचार याचिका डायरी संख्या-53434/2025 उ0प्र0 राज्य बनाम अंजुमन इशात-ए-तालीम ट्रस्ट में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29 मई, 2026 के अनुसार दिनांक 31 अगस्त, 2028 तक सभी कार्यरत अध्यापकों को उपर्युक्त अनिवार्य शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है।

शासन द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित उपर्युक्त आदेश दिनांक 29 मई, 2026 से बड़ी संख्या में शिक्षकों के प्रभावित होने के दृष्टिगत प्राथमिक स्तर एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर कार्यरत शिक्षकों हेतु शासन स्तर से विशेष अध्यापक शिक्षक पात्रता परीक्षा (Special TET) आयोजित कराने का निर्णय लिया गया है।

- मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-132/2016 रजनीश कुमार पाण्डेय व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.03.2025 के अनुपालन हेतु प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर लगभग 2500 विशेष शिक्षक/सहायक अध्यापक (CWSN) के लिए भी विशेष अध्यापक पात्रता परीक्षा (Special TET) आयोजित कराने का निर्णय लिया गया है।

3. अनुप्रयोज्यता (Applicability) :- उ0प्र0 सरकार द्वारा प्राथमिक स्तर तथा उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक/सहायक अध्यापक तथा विशेष शिक्षक (CWSN) हेतु आयोजित की जाने वाली विशेष अध्यापक पात्रता परीक्षा (Special TET) में निम्नलिखित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक आवेदन हेतु पात्र होंगे :-

3.1 प्राथमिक स्तर :-

- ऐसे सभी विद्यालय जो राज्य सरकार द्वारा संचालित हो;
- स्थानीय निकाय एवं जिन्हें राज्य सरकार/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा समय-समय पर सम्बद्धता/मान्यता प्रदान की गयी हो;
- जो राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त हो;
- स्पेशल एजुकेटर्स प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5 तक)

3.2 उच्च प्राथमिक स्तर :-

- I. ऐसे सभी विद्यालय जो राज्य सरकार द्वारा संचालित हो;
- II. स्थानीय निकाय एवं जिन्हें राज्य सरकार/बेसिक शिक्षा परिषद/माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा समय-समय पर संचालन हेतु मान्यता/सम्बद्धता प्रदान की गयी हो;
- III. जो राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त हो;
- IV. स्पेशल एजूकेटर्स उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8 तक)

4. ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना :-

- 4.1 आयोग के विज्ञापन सं०-03/2026 द्वारा उपर्युक्त विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक/सहायक अध्यापक तथा विशेष शिक्षक (CWSN) हेतु आयोजित की जाने वाली विशेष अध्यापक पात्रता परीक्षा (Special TET) हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।
- 4.2 प्रश्नगत परीक्षा हेतु OTR आधारित ऑनलाइन आवेदन पद्धति (OTR Based Online Application System) लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किये जाएँगे। अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.upessc.up.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सभी अभ्यर्थियों को One Time Registration(OTR) करना अनिवार्य होगा, उसके बाद ही आवेदन किया जा सकेगा।
- 4.3 ऑनलाइन आवेदन करते समय प्राथमिक स्तर/उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालयों में कार्यरत समस्त शिक्षकों को eHRMS कोड तथा विशेष शिक्षक (CWSN) प्राथमिक स्तर तथा विशेष शिक्षक (CWSN) उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों को एक्टिव सी०आर०आर० नम्बर के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद का पंजीकरण प्रमाण-पत्र संख्या का उल्लेख करना होगा।
- 4.4 ऑनलाइन आवेदन करने के लिए User Manual हिन्दी व अंग्रेजी में तथा प्रशिक्षण वीडियो (Tutorial Videos) आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, जिन्हें आवेदन करने से पूर्व देखा जा सकता है।
- 4.5 ऑनलाइन आवेदन अन्तिम रूप से "सबमिट" हो जाने के पश्चात् अभ्यर्थी की श्रेणी, उपश्रेणी, जन्मतिथि, जेन्डर (लिंग) आदि में परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा। अतः रजिस्ट्रेशन करते समय व आवेदन सबमिट करते समय सभी सूचनाएँ सही-सही भरें। ऑनलाइन प्रक्रिया में अभ्यर्थी द्वारा भरी गयी सूचनाएँ अन्तिम हैं, इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाना अनुमन्य नहीं होगा।
- 4.6 आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में पृथक से कोई परामर्श नहीं देते हैं। इसलिए उन्हें विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए और तभी आवेदन करना चाहिये जब सन्तुष्ट हो जाए कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप अर्ह हैं।
- 4.7 निर्धारित साइज की फोटो तथा स्पष्ट हस्ताक्षर अपलोड न करने एवं घोषणा-पत्र स्वीकार न करने पर अभ्यर्थी का आवेदन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।
- 4.8 अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में की गयी घोषणा (Declaration) सत्य नहीं पाये जाने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त करते हुए आयोग की प्रश्नगत परीक्षा तथा अन्य समस्त चयन/परीक्षाओं से प्रतिवारित (डिबार) करने की कार्यवाही तथा अन्य दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
- 4.9 आवेदन स्वीकार किये जाने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को अनिवार्य अर्हताएँ अवश्य धारित करनी चाहिए। अतः अभ्यर्थी आवेदन करते समय यह भली-भाँति सुनिश्चित कर लें कि जिस पद के लिए वे आवेदन कर रहे हैं उसके लिए विज्ञापन में दी गयी सभी अर्हताएँ धारित करते

हैं। पद हेतु निर्धारित अनिवार्य अर्हताओं से कम योग्यताधारी अभ्यर्थी यदि आवेदन करते हैं तो इसके लिए वे स्वयं उत्तरदायी होंगे।

- 4.10** हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण-पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण-पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा।
- 4.11** अभ्यर्थी द्वारा रजिस्ट्रेशन एवं आवेदन पत्र अनिवार्य रूप से अंग्रेजी भाषा में भरा जाना है।
- 4.12** आवेदन पत्र में त्रुटि निवारण हेतु संशोधन करने का अवसर मिलेगा, जो आयोग द्वारा निर्धारित तिथि तक किया जा सकता है। त्रुटिपूर्ण आवेदन करने पर आवेदन में जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा और उसका समायोजन अन्य आवेदन में भी नहीं होगा। अभ्यर्थी द्वारा उक्त पदों के लिए एक से अधिक आवेदन “सबमिट” करने की दशा में अन्तिम आवेदन ही स्वीकार्य होगा, शेष सभी आवेदन निरस्त माने जायेंगे।
- 4.13** अभ्यर्थी को अपना हस्ताक्षर सफेद पृष्ठभूमि के साथ स्कैन करके JPG या JPEG फॉर्मेट में अपलोड करना होगा, जिसका साइज 10 KB से 200 KB के बीच हो तथा 140X110 Pixel का Resolution हो। इसी प्रकार पासपोर्ट साइज फोटो, जिसकी साइज 30 KB से 300 KB के बीच हो तथा Pixel Resolution 300 से 600 के बीच हो भी अपलोड करना होगा।
- 4.14** सभी अपलोड किये जाने वाले प्रमाण-पत्र/अभिलेख PDF Format में होने चाहिए तथा उनकी साइज 50KB से 500KB के बीच होनी चाहिए।
- 4.15** आवेदन पत्र पूरी तरह भरने के पश्चात **प्रस्तर-6** में उल्लिखित शुल्क जमा करना होगा।
- 4.16** किसी भी स्तर पर यह तथ्य प्रकाश में आने पर कि अभ्यर्थी द्वारा कोई सूचना छिपाई गयी है अथवा गलत भरी गयी है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा तथा आगामी परीक्षाओं/चयन से उसे प्रतिवारित (डिबार) किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- 4.17** अभ्यर्थी के अर्ह/अनर्ह होने के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

5. परीक्षा शुल्क भुगतान हेतु आवश्यक निर्देश :-

- 5.1** अभ्यर्थी पोर्टल पर उपलब्ध निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक का चयन करते हुए परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं।
क्रेडिट/डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग।
- 5.2** अभ्यर्थी क्रेडिट/डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से भुगतान करने के लिए पंजीकरण के तुरंत बाद पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन पेमेंट गेटवे का उपयोग कर अपने शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।
- 5.3** क्रेडिट/डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से शुल्क का भुगतान करने की दशा में भुगतान की पुष्टि भुगतान के बाद बैंक के माध्यम से प्राप्त होती है। भुगतान की पुष्टि बैंक द्वारा किये जाने के उपरांत ही परीक्षा शुल्क का भुगतान मान्य होगा।
- 5.4** शुल्क भुगतान करने के उपरान्त शुल्क प्राप्ति रसीद को संरक्षित किया जाना आवश्यक है। अभ्यर्थी One Time Registration व भुगतान कम्पलीट करने के पश्चात आवेदन पत्र अंतिम तिथि तक पूर्ण नहीं करता तो उसका आवेदन मान्य नहीं होगा।

6. आवेदन शुल्क :-

उक्त परीक्षा हेतु शुल्क निम्नवत निर्धारित है :-

क्र.सं.	श्रेणी	आवेदन शुल्क प्राथमिक स्तर	आवेदन शुल्क उच्च प्राथमिक स्तर
1.	सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	1,000.00	1,000.00
2.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	500.00	500.00
3.	दिव्यांगजन	300.00	300.00

7. अनिवार्य अर्हता :-

7.1 प्राथमिक स्तर/उच्च प्राथमिक स्तर :-

- प्राथमिक स्तर के विद्यालयों में कार्यरत समस्त शिक्षक प्राथमिक स्तर की विशेष अध्यापक पात्रता परीक्षा (Special TET) हेतु अर्ह होंगे।
- उच्च प्राथमिक स्तर/जूनियर हाईस्कूल स्तर के विद्यालयों में कार्यरत समस्त शिक्षक उच्च प्राथमिक स्तर की विशेष अध्यापक पात्रता परीक्षा (Special TET) हेतु अर्ह होंगे।

7.2 विशेष शिक्षक (CWSN) :-

- स्पेशल एजूकेटर्स प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5 तक) हेतु विशेष शिक्षक (CWSN) :-** प्राथमिक स्तर के विद्यालयों में संविदा/डेलीवेजेज पर कार्यरत ऐसे विशेष शिक्षक (CWSN) अर्ह होंगे जिन्होंने स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण के साथ-साथ भारतीय पुनर्वास परिषद (RCI) से मान्यता प्राप्त, डी०एड० विशेष शिक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो तथा स्पेशल एजूकेटर्स के पास एक्टिव सी०आर०आर० नम्बर के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद का पंजीकरण प्रमाण-पत्र होना अनिवार्य होगा।
- स्पेशल एजूकेटर्स प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8 तक) हेतु विशेष शिक्षक (CWSN) :-** उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालयों में संविदा/डेलीवेजेज पर कार्यरत ऐसे विशेष शिक्षक (CWSN) अर्ह होंगे जिन्होंने स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण के साथ-साथ भारतीय पुनर्वास परिषद (RCI) से मान्यता प्राप्त, डी०एड० विशेष शिक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो तथा स्पेशल एजूकेटर्स के पास एक्टिव सी०आर०आर० नम्बर के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद का पंजीकरण प्रमाण-पत्र होना अनिवार्य होगा।

8. आयु सीमा :- संविदा/डेलीवेजेज पर कार्यरत स्पेशल एजूकेटर्स हेतु परीक्षा आयोजन की तिथि 03.11.2026 तक अधिकतम आयु 60 वर्ष निर्धारित है।

9. परीक्षा केन्द्र :- परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण यथा आवश्यकतानुसार जनपद मुख्यालयों पर किया जायेगा। अभ्यर्थी को कोई भी केन्द्र आवंटित किया जा सकता है। परीक्षा केन्द्र के जनपद की सूचना परीक्षा तिथि से 10 दिन पूर्व तथा परीक्षा केन्द्र की सूचना परीक्षा से 3 दिन पूर्व आयोग के वेबसाइट पर दिये गये लिंक से प्रवेश-पत्र डाउनलोड कर प्राप्त की जा सकती है। परीक्षा केन्द्र, समय सारणी और अनुक्रमांक आदि की सूचना यथा समय दी जायेगी।

नोट:- यदि कोई अभ्यर्थी आयोग द्वारा प्रेषित प्रवेश-पत्र में अंकित परीक्षा केन्द्र से इतर केन्द्र एवं विषय में परीक्षा देता है तो उसकी उत्तर-पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा तथा उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

10. परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम :-

10.1 परीक्षा योजना :-

- I. परीक्षा की अवधि 2:30 घण्टा अर्थात् 150 मिनट होगी।
- II. समस्त प्रश्न बहुविकल्पीय (MCQ) होंगे, प्रत्येक प्रश्न के चार विकल्प होंगे।
- III. प्रश्नगत पात्रता परीक्षा में नकारात्मक मूल्यांकन(Negative Marking) नहीं होगा।
- IV. प्रश्नों की संख्या 150 होगी, प्रत्येक प्रश्न 01 (एक) अंक का होगा।
- V. प्रश्न-पत्र का माध्यम हिन्दी तथा अंग्रेजी होगा (भाषा के विषयों को छोड़कर)

10.2 अर्हक अंक :-

- विशेष अध्यापक पात्रता परीक्षा (Special TET) में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के अंको का विवरण वेबसाइट पर जारी किया जायेगा। पूर्णांक 150 में से 90 अंक अर्थात् 60 प्रतिशत और अधिक अंक प्राप्त करने वाले सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।
- विशेष अध्यापक पात्रता परीक्षा (Special TET) में शामिल होने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक स्वयं/विकलांग श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हक 55 प्रतिशत अर्थात् पूर्णांक 150 में से 82 अंक होगा।
- विशेष अध्यापक पात्रता परीक्षा (Special TET) में शामिल होने वाले आर्थिक रूप से कमजोर अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हक अंक 55 प्रतिशत अर्थात् पूर्णांक 150 में से 82 अंक होगा।
- अध्यापक पात्रता परीक्षा (STET) विशेष शिक्षक (CWSN) में अनारक्षित श्रेणी तथा अनारक्षित श्रेणी के अर्हक अंक वही होंगे जो उपर्युक्त के लिए निर्धारित है।

विशेष नोट :- यदि परीक्षा एक ही पाली में आयोजित करायी जाती है तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक ही अर्हक अंक हेतु मान्य किये जायेंगे। आवेदन पत्रों की अत्यधिक संख्या होने की स्थिति में शासनादेश संख्या-6/2024/148/सामान्य/47/का-4-2024 में विहित प्राविधानों के क्रम में परीक्षा एक से अधिक पालियों में आयोजित करायी जाती है तो प्राप्तांकों के तुलनात्मक मूल्यांकन हेतु प्रसामान्यीकरण (Normalization) की प्रक्रिया लागू होगी। स्कोर नार्मलाइजेशन की उक्त प्रक्रिया आयोग की सूचना/विज्ञप्ति संख्या-शिवसे0आयोग/2018/2025-26 दिनांक 26.02.2026 में विहित प्रक्रिया द्वारा की जायेगी। अभ्यर्थियों के प्रसामान्यीकृत (Normalized) अंक ही अर्हक अंक हेतु मान्य होंगे।

10.3 पाठ्यक्रम :-

विशेष अध्यापक पात्रता परीक्षा (Special TET) में प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5 तक) हेतु लिखित पात्रता परीक्षा की विषय सूची, प्रश्नों की संख्या एवं अंक निम्नानुसार हैं :-

संरचना एवं विषय सूची (सभी अनिवार्य)

क्र.सं.	विषय वस्तु	प्रश्नों की संख्या	अंक
1.	बाल विकास एवं शिक्षण विधि (अनिवार्य)	30 MCQ	30
2.	भाषा प्रथम (हिन्दी) (अनिवार्य)	30 MCQ	30
3.	भाषा द्वितीय (अंग्रेजी/उर्दू/संस्कृत) (अनिवार्य)	30 MCQ	30
4.	गणित (अनिवार्य)	30 MCQ	30
5.	पर्यावरणीय अध्ययन (अनिवार्य)	30 MCQ	30
कुल		150 MCQ	150

विशेष अध्यापक पात्रता परीक्षा (Special TET) में उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8 तक) हेतु लिखित पात्रता परीक्षा की विषय सूची, प्रश्नों की संख्या एवं अंक निम्नानुसार हैं :-

संरचना एवं विषय सूची (सभी अनिवार्य)

क्र.सं.	विषय वस्तु	प्रश्नों की संख्या	अंक
1.	बाल विकास एवं शिक्षण विधि (अनिवार्य)	30 MCQ	30
2.	भाषा प्रथम (हिन्दी) (अनिवार्य)	30 MCQ	30
3.	भाषा द्वितीय (अंग्रेजी/उर्दू/संस्कृत) (अनिवार्य)	30 MCQ	30
4.	(क) गणित एवं विज्ञान शिक्षक के लिए गणित/विज्ञान (ख) सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए सामाजिक अध्ययन (ग) अन्य किसी शिक्षक के लिए (क) अथवा (ख) कोई भी	60 MCQ	60
कुल		150 MCQ	150

नोट :- दोनों स्तर की परीक्षाओं का पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट www.upessc.up.gov.in पर उपलब्ध है।

11. लिखित परीक्षा सम्बन्धी निर्देश :-

- 11.1 परीक्षा की तिथि, स्थान, समय तथा केन्द्रों आदि के सम्बन्ध में अनुक्रमांक सहित प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की सूचना अभ्यर्थियों को SMS, ई-मेल, समाचार पत्र व वेबसाइट/पोर्टल के माध्यम से दी जायेगी। अभ्यर्थियों को आवंटित परीक्षा केन्द्र पर ही परीक्षा देनी होगी। परीक्षा केन्द्र में किसी भी दशा में परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा।
- 11.2 प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की सूचना प्राप्त होने पर अभ्यर्थियों द्वारा आयोग की वेबसाइट www.upessc.up.gov.in से प्रवेश पत्र डाउनलोड किया जा सकेगा। इसके लिए अभ्यर्थी को मुख्य पृष्ठ पर दिए गए "Admit Card Download" बटन पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन नम्बर/मोबाइल नम्बर तथा जन्म तिथि अंकित करनी होगी। यदि अभ्यर्थी लिखित परीक्षा के लिए अर्ह अभ्यर्थियों की सूची में है तथा आयोग द्वारा लिखित परीक्षा की तिथि निश्चित की जा चुकी है तो अभ्यर्थी का प्रवेश पत्र प्रदर्शित हो जाएगा, जिसे अभ्यर्थी को डाउनलोड करके प्रिंट करना होगा।
- 11.3 आयोग अभ्यर्थियों को उनके द्वारा दी गयी सूचनाओं के आधार पर लिखित परीक्षा में औपबन्धिक प्रवेश देगे, किन्तु बाद में किसी भी स्तर पर यह पाये जाने पर कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, उक्त स्थिति में अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।
- 11.4 कदाचार अर्थात् परीक्षा भवन में नकल करने, अनुशासनहीनता, दुर्व्यवहार तथा अवांछनीय कार्य करने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इन अनुदेशों की अवहेलना करने पर अभ्यर्थी को इस परीक्षा तथा भविष्य में होने वाली परीक्षाओं में प्रतिवारित किया जा सकता है।
- 11.5 अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में काला बाल प्वाइंट पेन अपने साथ अवश्य लाएंगे तथा ओ0एम0आर0 शीट के आयताकार खानों व गोलों को काले बाल प्वाइंट पेन से ही भरेगें। काले के अतिरिक्त अन्य सभी रंगों के बाल प्वाइन्ट पेन, फाउन्टेन पेन, जेल पेन, स्केच पेन, एच.बी. पेन्सिल एवं सफेदा (Whitener) का प्रयोग वर्जित है। एक बार गोला भरे जाने के बाद उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन स्वीकार नहीं होगा। एक से अधिक गोला काला करने पर उसका न तो मूल्यांकन होगा और न उस पर कोई अंक ही दिये जाएंगे।
- 11.6 परीक्षा के दौरान ओ0 एम0आर0 शीट पर मिटाने के लिए इरेजर/नाखून/ब्लेड/सफेद तरल पदार्थ/(Whitener) आदि का प्रयोग या किसी अन्य प्रकार से क्षति ग्रस्त किया जाना

निषिद्ध है। इनके किसी भी प्रयोग से ओ०एम०आर० शीट निरस्त हो जायेगी तथा ऐसी ओ०एम०आर० शीट का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

- 11.7 अभ्यर्थी परीक्षा के समय उत्तर-पत्रक (OMR Answer Sheet) पर मांगी गयी सूचना से सम्बन्धित खानों को सही-सही भरें तथा उनसे सम्बन्धित गोलों को ही काला करें, जो स्कैनर मशीन द्वारा पढ़ी जा सके। OMR Answer Sheet में गोलों को काला करके दी गयी सूचनाओं के आधार पर ही आयोग द्वारा OMR Answer Sheet का मूल्यांकन किया जायेगा। उत्तर-पत्रक में गोलों को ठीक से काला न करने और कोई भी सूचना त्रुटिपूर्ण भरे जाने की स्थिति में आयोग द्वारा OMR Answer Sheet का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा।
- 11.8 दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को शासनादेश दिनांक 04 दिसम्बर, 2019 एवं 08 सितम्बर, 2022 के अनुसार श्रुतलेखक (Scribe) की सुविधा दी जायेगी। श्रुतलेखक अभ्यर्थी अपने साथ लायेगा। श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त करने वाले दिव्यांगजन अभ्यर्थी सम्पूर्ण विवरण सहित अपना पंजीयन आयोग कार्यालय में लिखित परीक्षा से एक सप्ताह पूर्व अवश्य करा लें, ताकि उनके बैठने की समुचित व्यवस्था केन्द्रों पर यथा समय की जा सके। उक्त अभ्यर्थियों को 20 मिनट प्रति घंटे का अतिरिक्त समय दिया जायेगा। श्रुतलेखक को कोई यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- 11.9 लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने से पूर्व अभ्यर्थी स्वयं सुनिश्चित हो ले कि विशेष अध्यापक पात्रता परीक्षा (Special TET) की निर्धारित न्यूनतम अर्हताएँ पूरी करते हैं।
- 11.10 परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

12. आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु निर्देश :-

- 12.1 उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें।
- 12.2 एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी, दी जाएगी।
- 12.3 आरक्षित श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थी जो उ०प्र० राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें इन वर्गों को मिलने वाली छूट का लाभ अनुमन्य नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के माने जाएंगे। महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा।
- 12.4 आरक्षित श्रेणी से सम्बन्धित जाति प्रमाण-पत्र उ०प्र० शासन के निर्धारित प्रारूप पर ही मान्य होंगे। ऐसी महिला अभ्यर्थी का जाति प्रमाण-पत्र जिसमें उनके उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, या अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति की पत्नी होने का उल्लेख है, मान्य न होगा।
- 12.5 ऐसे अभ्यर्थी जो उ०प्र० के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित होने का दावा करते हैं, उन्हें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके द्वारा एतदर्थ प्रस्तुत प्रमाण-पत्र शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण अधिनियम, 1993 के अनुक्रम में उ०प्र० शासन द्वारा यथासंशोधित शासनादेश दिनांक 07 अप्रैल, 2015 के साथ संलग्न प्रारूप पर हो।
- 12.6 ऐसे अभ्यर्थी जो शारीरिक रूप से विकलांग होने का दावा करते हैं उन्हें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके द्वारा एतदर्थ आवेदन के साथ प्रस्तुत प्रमाण-पत्र उ०प्र० शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर हो।
- 12.7 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) श्रेणी का प्रमाण-पत्र कार्मिक अनुभाग कार्यालय के ज्ञाप संख्या-1/2019/4/1/2002/का-2/19 टी.सी.-II, दिनांक 18.02.2019 के अनुरूप आवेदन करने के वर्ष के पूर्व वर्ष का ही मान्य होगा। इस श्रेणी के आवेदकों को उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2019/4/1/2002/का-2/19 टी.सी.-II, दिनांक 14.03.2019 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

13. अभ्यर्थियों हेतु सामान्य अनुदेश :-

- 13.1** किसी भी विवाद की स्थिति में निस्तारण हेतु अभ्यर्थी को सर्वप्रथम आयोग को प्रत्यावेदन देना होगा।
- 13.2** यदि आयोग द्वारा अपरिहार्य परिस्थितियों में परीक्षा तिथि में कोई परिवर्तन किया जाता है तो तत्संबंधी सूचना सम्बंधित अभ्यर्थियों को SMS/E-mail /पोर्टल/वेबसाइट के माध्यम से दी जायेगी।
- 13.3** अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन भरने में कठिनाई होने की स्थिति में निम्नलिखित दूरभाष नम्बर अथवा ई-मेल आई०डी० पर सम्पर्क कर कठिनाई/समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं :-

	Technical Support (Application Related Issue)	Bank Payment Support (Payment Related Issue)		UPESSC Commission Support
		ICICI BANK	UNION BANK	
Mob. No.	08448573939 (09:30 AM – 06:00 PM) (Monday – Saturday)	8879370946, 8657723283 (09:30 AM – 06:30 PM) (Working Days)	9137551970 (09:30 AM – 06:30 PM)	0532-2466851 (10:00 AM – 05:00 PM) (Monday – Saturday)
E-mail	Support@upessc.org	Amita.kurmi@icici.bank.in Pawan.si@icici.bank.in	pgsupport@billdesk.com	upmsscball@gmail.com

- 13.4** परिशिष्ट-1, परिशिष्ट-2, परिशिष्ट-3, परिशिष्ट-4 व परिशिष्ट-5 के प्रारूप आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

परिशिष्ट-1

उ0प्र0 की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी सुपुत्र/सुपुत्री श्री निवासी ग्राम..... तहसील नगर जिला उत्तर प्रदेश राज्य की..... जाति के व्यक्ति हैं जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (जैसा कि समय-समय पर संशोधित हुआ/संविधान (अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश आदेश 1967) के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गयी है।

श्री/श्रीमती/कुमारी..... तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के..... ग्राम.....तहसील..... नगर..... जिला.....में सामान्यतया रहता है।

स्थान.....

हस्ताक्षर.....

दिनांक.....

पूरा नाम.....

मुहर

पद का नाम.....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार

परिशिष्ट-2

उ0प्र0 के अन्य पिछड़ा वर्ग लिए जाति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....सुपुत्र/सुपुत्री श्री
.....निवामी ग्रामतहसील.....नगर.....
जिला.....उत्तर प्रदेश राज्य की..... पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियां तथा पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण)
अधिनियम 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची एक के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....पूर्वोक्त अधिनियम 1994
(यथासंशोधित) की अनुसूची दो जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित
जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया
गया है एवं जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों
के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं हैं। इनके
माता-पिता की निरंतर तीन वर्ष की अवधि के लिए सकल वार्षिक आय 8 लाख या इससे अधिक नहीं
है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथाविहित छूट सीमा से अधिक संपत्ति भी नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी.....तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश
के.....ग्राम तहसील.....नगर..... जिला.....
..... में सामान्यता रहता हैं।

स्थान.....

हस्ताक्षर.....

दिनांक.....

पूरा नाम.....

मुहर

पद का नाम.....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार

परिशिष्ट-3

कार्यालय-जाप संख्या-3/2019/4/1/2002/का-2/19टी.सी.-II दिनांक 14 मार्च, 2019 का संलग्नक

(प्रपत्र- I)

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्यालय का नाम.....

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या-..... दिनांक-.....

वित्तीय वर्ष के लिए मान्य

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी

पुत्र/पति/पुत्री ग्राम/कस्बा.....

पोस्ट ऑफिस थाना

तहसील जिला राज्य

पिन कोड..... के स्थायी निवासी है, जिनका फोटोग्राफ नीचे अभिप्रमाणित है, आर्थिक रूप से

कमजोर वर्ग के सदस्य हैं, क्योंकि वित्तीय वर्ष में इनके परिवार की कुल वार्षिक आय 8

लाख (आठ लाख रुपये मात्र) से कम है। इनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई भी परिसम्पत्ति

नहीं है:-

- I. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर।
- II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट।
- III. अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।
- IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।
2. श्री/श्रीमती/कुमारी जाति के

सदस्य हैं, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में अधिसूचित नहीं हैं।

आवेदक का पासपोर्ट साईज का
अभिप्रमाणित फोटोग्राफ

हस्ताक्षर (कार्यालय का मुहर सहित)

पूरा नाम

पदनाम

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी
मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार।

(प्रपत्र- II)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थी स्वयं घोषणा पत्र

स्वयं घोषणा पत्र

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी
ग्राम/कस्बा पोस्ट ऑफिस
थाना ब्लॉक तहसील
जिला राज्य ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के
प्रमाण पत्र हेतु आवेदन दिया है, एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ :-

1. मैं जाति से सम्बन्ध रखता/रखती हूँ, जो उत्तर प्रदेश हेतु
अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सूचीबद्ध नहीं है।
2. मेरे परिवार की कुल श्रोतों (वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा इत्यादि) से कुल वार्षिक आय
रु (शब्दों में) है।
3. मेरे परिवार के पास उल्लिखित आय के सिवाय अथवा इसके अतिरिक्त अन्यत्र कोई
परिसम्पत्ति नहीं है।

अथवा

कई स्थानों पर स्थित परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात भी मैं (नाम) आर्थिक
रूप से कमजोर वर्ग के दायरे में आता/आती हूँ।

4. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे परिवार की सभी परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात्
निम्नलिखित में से किसी भी सीमा से अधिक नहीं है-

- I. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर ।
- II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का प्लॉट।
- III. अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय
भूखण्ड।
- IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है
और मैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण सुविधा प्राप्त करने हेतु पात्रता धारण करता/करती हूँ। यदि
मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य/गलत पायी जाती है तो मैं पूर्ण रूप में जानता हूँ/ जानती हूँ कि इस
आवेदन पत्र के आधार पर दिये गये प्रमाण पत्र के द्वारा शैक्षणिक संस्थान में लिया गया प्रवेश/लोक सेवाओं एवं
पदों में प्राप्त की गई नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी/कर दिया जायेगा अथवा इस प्रमाण पत्र के आधार पर कोई
अन्य सुविधा/लाभ प्राप्त किया गया है उससे भी वंचित किया जा सकेगा और इस सम्बन्ध में विधि एवं नियमों
के अधीन मेरे विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए मैं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

नोट:- जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर तथा पूरा नाम।

स्थान :-

दिनांक :-

परिशिष्ट-4

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण), अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के प्रमाण-पत्र का प्रपत्र।

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी निवासी ग्राम.....
तहसील.....नगर..... जिला उत्तर प्रदेश लोक सेवा
(शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम,
1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री/श्रीमती/कुमारी (आश्रित) पुत्र/पुत्री/पौत्र (पुत्र का
पुत्र या पुत्री का पुत्र) तथा पौत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) (विवाहित अथवा अविवाहित) उपरांकित अधिनियम,
1993 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी)के आश्रित हैं।

स्थान.....

दिनांक.....

हस्ताक्षर

पूरा नाम

पदनाम

मुहर

जिलाधिकारी.....

सील.....

.....

परिशिष्ट-5

The form of certificate to be produced by Physically Handicapped candidates

NAME & ADDRESS OF THE INSTITUTE/HOSPITAL

Certificate No.

Date:.....

DISABILITY CERTIFICATE

This is certified that Shri/Smt./Kum.son/wife/daughter of
Shri..... agesexidentification mark(s).....

.....is suffering from permanent disability of following category :

A. Locomotor or Cerebral Palsy :

- | | |
|--|----------------------|
| (i) BL—Both legs affected but not arms | |
| (ii) BA—Both arms affected | (a) Impaired reach |
| | (b) Weakness of grip |
| (iii) BLA—Both legs and both arms affected | |
| (iv) OL—One leg affected (right or left) | (a) Impaired reach |
| | (b) Weakness of grip |
| | (c) Ataxic |
| (v) OA—One arm affected | (a) Impaired reach |
| | (b) Weakness of grip |
| | (c) Ataxic |
| (vi) BH—Stiff back and hips (cannot sit or stoop) | |
| (vii) MW—Muscular weakness and limited physical endurance. | |

B. Blindness or Low Vision :

- (i) B—Blind
- (ii) PB—Partially blind

C. Hearing impairment :

- (i) D—Deaf
- (ii) PD—Partially deaf

(Delete the category whichever is not applicable)

2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve.
Re-assessment of this case is not recommended/is recommended after a period
of.....years..... months.*

3. Percentage of disability in his/her case is.....Percent.

4. Shri/Smt./Kum.meets the following physical requirements for discharge of his/her duties :—

- | | | |
|--------|--|--------|
| (i) | F—Can perform work by manipulating with fingers. | Yes/No |
| (ii) | PP—Can perform work by pulling and pushing. | Yes/No |
| (iii) | L—Can perform work by lifting. | Yes/No |
| (iv) | KC—Can perform work by kneeling and crouching. | Yes/No |
| (v) | B—Can perform work by bending. | Yes/No |
| (vi) | S—Can perform work by sitting. | Yes/No |
| (vii) | ST—Can perform work by standing. | Yes/No |
| (viii) | W—Can perform work by walking. | Yes/No |
| (ix) | SE—Can perform work by seeing. | Yes/No |
| (x) | H—Can perform work by hearing/speaking. | Yes/No |
| (xi) | RW—Canperformworkbyreadingandwriting. | Yes/No |

(Dr.....)

Member

Medical Board

(Dr.)

Member

Medical Board

(Dr.)

Chairman

Medical Board

Countersigned by the Medical
Superintendent/CMO/Head of Hospital
(With seal)

NOTE* Strike out which is not applicable